न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–09/2008

लालमणि देवी एवं अन्य..वादीगण

बनाम

तारकेश्वर उपाध्याय एवं अन्य..प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
24.07.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 10.07.2023 अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादीगण का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद की प्रतिवादी सं0–02 चिरई देवी की मृत्यु दिनांक 15.07.2012 एवं प्रतिवादी सं0–03 आशा देवी की मृत्यु दिनांक 06.05.2023 एवं प्रतिवादी सं0–11 सुदामा देवी की मृत्यु दिनांक 11.09.2020 एवं प्रतिवादी सं0–17 राजमती देवी की मृत्यु दिनांक 04.07.2023 को हो गई है। मृतक प्रतिवादीगणों के विधिक वारिसान के रूप में अपने पीछे आवेदनानुसार विधिक वारिसानों को छोड़कर मरे है। अतः वादपत्र से मृत प्रतिवादी सं0–02 चिरई देवी, प्रतिवादी सं0–03 आशा देवी, प्रतिवादी सं0–11 सुदामा देवी एवं प्रतिवादी सं0–17 राजमती देवी का नाम कलमजद करने तथा उनके स्थान पर आवेदन में वर्णित उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा करें। जो प्रस्तुत वाद के आवश्यक पक्षकार है। प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन को खारिज योग्य बताया गया।	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–09/2008

लालमणि देवी एवं अन्य...वादीगण

बनाम

तारकेश्वर उपाध्याय एवं अन्य..प्रतिवादीगण

लगातार **24.07.2023**	उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–02 चिरई देवी, प्रतिवादी सं0–03 आशा देवी, प्रतिवादी सं0–11 सुदामा देवी एवं प्रतिवादी सं0–17 राजमती देवी की मृत्यु हो गई है जिसे प्रतिवादीगण भी स्वीकार करते है। वादीगण के द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में शपथपत्र दाखिल किया गया है। प्रस्तुत आवेदन समय सीमा से दाखिल नही किया गया है। अतः न्यायहित में वादीगण का आवेदन मो0–1000/– रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से मृत प्रतिवादी सं0–02 चिरई देवी, प्रतिवादी सं0–03 आशा देवी, प्रतिवादी सं0–11 सुदामा देवी एवं प्रतिवादी सं0–17 राजमती देवी की नाम कलमजद करें तथा मृतक के विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करें तद्पश्चात वादीगण की ओर से प्रतिस्थापित प्रतिवादीगणों की उपस्थिति हेतु समन की अपेक्षिकाएँ दाखिल करें। वाद दिनांक 05.08.2023 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	